न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 03/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00230

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रूपा पुत्र पन्नाजी जाति भांबी निवासी चाटेलाव तहसील रोहट जिला पाली		1. मृत्तक मगना पुत्र देवाजी के कायम मुकाम :– 1/1. रूपाराम पुत्र मगनाजी जाति घांची निवासी निम्बली तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.) 2. तहसीलदार महोदय, रोहट जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से सुमेरसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी की ओर से दौलत मकवाना

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8-10-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के, विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी मगना पुत्र देवाजी के पक्ष में खसरा नंबर 211 में से 15 बीघा भू आवंटन किया गया। जो राजस्व रेकर्ड में अंकित है को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर आवंटन सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया गया तहसीलदार पाली से आवंटन सम्बन्धी वांछित पत्रावली उपलब्ध नहीं होने तथा आवंटन रेकर्ड अभिलेखागार में जमा कराया गया है ऐसा साक्ष्य भी नहीं मिला है इस आशय का प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी बिठू ग्राम का मूल निवासी है एवं बीपीएल श्रेणी का अनुसूचित जाति का वरिष्ठ नागरिक है। प्रार्थी को चाटेलाव ग्राम के खसरा नंबर 211 में से 15 बीघा भूमी का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया तब से उक्त आराजी पर प्रार्थी बतौर खातेदार काबिज है लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होकर अप्रार्थी मगना का नाम गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है इस बाबत एक वाद संख्या 13/92 सहायक कलेक्टर पाली के न्यायालय में किया गया जो दिनांक 28.1.94 को डिक्री किया गया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 399 भरा गया तथा प्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया तब से प्रार्थी खातेदार दर्ज है तथा भूमी का उपयोग उपभोग कर रहा है तथा वर्तमान में खसरा नंबर 211/1 का प्रार्थी खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 बिठू का निवासी नहीं है न कोई बीठू में रहने का प्रमाण है अपने के गलत रूप से बीठू का निवासी बताकर प्रार्थी के विरूद्ध आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थी के पक्ष में पारित डिक्री को निरस्त कराने हेतु अपील 2015 में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली में पेश की गई जो लम्बित है। प्रार्थी ने उक्त भूमी स्वयं के आवंटन होना बताया है। तथा दस्तावेजात में एक मात्र नामान्तरकरण संख्या 37 द्वारा आवंटन होना बताया है प्रार्थी को उक्त नामान्तरकरण में गैर खातेदार से खातेदार में दर्ज किया गया है। इस से पूर्व अप्रार्थी ने न तो आवंटन कराया है न आवंटि को सर्वप्रथम गैर खातेदार दर्ज किए जाने का नामान्तरकरण है न ही जमाबन्दी में अप्रार्थी को उक्त भूमी आवंटन हुई इसका इन्द्राज है प्रार्थी को आवंटन किए जाने बाबत रेकर्ड तहसील कार्यालय में भी नहीं है न ही तहसील कार्यालय द्वारा रेकर्ड शाखा में जमा कराये जाने बाबत कोई चालान या अन्य साक्ष्य है ऐसी स्थिति में तथाकथित आवंटन जो अप्रार्थी मगना के नाम का राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज किया गया है वह अवैधानिक रूप से बिना आधार किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी उक्त नामान्तरकरण के आधार पर भूमी स्वयं को नामान्तरकरण संख्या 87 द्वारा भूमी आवंटन होना बताया है तथा गैरखातेदार से खातेदार होना बताया है राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी कभी भी आवंटी गैर खातेदार या खातेदार नहीं रहा न आवंटन का इन्द्राज हुआ है ने आवंटन फॉर्म है न आवंटन आदेश है। तत्कालीन राजस्व अधिकारियों, कार्मिकों से मिलावट कर राजस्व रेकर्ड में सीधा ही नाम दर्ज करवा दिया जो अवैध होने से खारिज योग्य है। गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:42 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः.....................2

खातेदारी दर्ज होने बाबत जमाबंदी भी उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर आवंटन के दस्तावेज बिना आधार के मात्र नामान्तरकरण वह भी गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने बाबत है जो अपास्त योग्य है इस प्रकार के इन्द्राज अवैध है। जिन्हें राजस्व वाद में अवैध मानते हुए हटा दिए है। उक्त आवंटित भूमी ही प्रार्थी की आजिविका का साधन है तथा उक्त भूमी पर वक्त आवंटन से ही काबिज है उक्त भूमी प्रार्थी के नाम आवंटन हुई थी जो 22.5.1973 को आवंटित हुई जिसके आवंटन आदेश की फोटोप्रति पत्रावली संलग्न है। इस बाबत दर्ज वाद संख्या 13/1992 से वादी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 87 के विरूद्ध प्रार्थी को सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है एवं प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ है तब से प्रार्थी खातेदार दर्ज है एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के एक वाद उपखण्ड अधिकारी रोहट के समक्ष पेश किया गया था उक्त वाद संख्या 82/2013 में उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित आदेश भी राजस्व अपील अधिकारी के राजस्व अपील प्रकरण संख्या 16/2016 के द्वारा अपास्त किया जा चूका है। प्रार्थी के विरूद्ध दायर वाद जो विभिन्न धाराओं में उक्त आराजी से सम्बन्धित अप्रार्थी द्वारा दर्ज कराए गए वे सभी प्रार्थी के हक में निर्णित हुए है लिहाजा अप्रार्थी फर्जी रूप से जो आवंटन होना बता रहा है वह अपास्त किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने तर्कों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत 2002 RRT 162, (H.C.), 2011-12 RRT 375, 1994 RRD 389,(B), 2002 RRD Page- 1(H.C.)(D.B.) 2015 (2) RRT 790, 2006 2 RRT 1139, 2015 2 RRT 790, 2018-19 RRT 338, 2021(1) RRT 741, 2021(1) RRT 2012, 2019 DNJ (Rev) 49, 2021 (1) RRT 371, 2021(2) RRT 1140, 2017 RRT 415 पेश किए।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी के पिता मगना को करीब 56 वर्ष बाद प्रश्नगत कर चुनौती देना म्याद बाहर है जो अक्षम्य होने से खारिज योग्य है। तथा देरी का सन्तोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं किया है तथा जो कारण उल्लेखित किया गया वह मानने योग्य नहीं है। प्रार्थी को 1992 से ज्ञान था फिर भी वाद में पेश किया गया जो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है अप्रार्थी के पिता ने आवंटन कमेटी के समक्ष क्या धोखाधड़ी और दुर्व्यपदेशन कर आवंटन कराया है जिससे अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। यह भी अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 87 जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा प्रकरण संख्या 13/92 में पारित आदेश के जरिये खातेदारी अधिकार दिए एवं अन्य प्रकरण जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को रद्ध किया गया उनकी अपील तथा एक अन्य अपील आवंटन से सम्बन्धित राजस्व अपील अधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील संख्या 60/2015 एवं 20/2015 विचाराधीन है इस लिए उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्णय को अन्तिम नहीं माना जा सकता है। नामान्तरकरण संख्या 87 के द्वारा 10 वर्ष पूर्ण होने पर उसके साथ अन्य आवंटियों को भी खातेदारी अधिकार प्रदान किए है उनके साथ अप्रार्थी के पिता को भी आवंटन के 10 वर्ष पूर्ण होने से खातेदारी अधिकार उक्त नामान्तरकरण के जरिये प्रदान किए गए है इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है जिस आवंटन आदेश को प्रश्नगत किया गया है उक्त आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए नियम 30 कोर्ट मैन्यूअल पार्ट–2 के अनुसार प्रमाणित प्रति आवंटन आदेश के अभाव में भी प्रकरण पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है प्रार्थी का यह कथन कि मगना ग्राम चाटेलाव में नहीं रहता है गलत है। राजस्व अपील अधिकारी महोदय के न्यायालय में विचाराधीन अपीलों के अनुसार अप्रार्थी चाटेलाव के निवासी है। अप्रार्थी मगना के कायम मुकाम रूपा आज खाने कमाने हेतु निम्बली में रह रहा है। उक्त आवंटित आराजी पर आज भी उतरदाता अप्रार्थी का कब्जा व स्वामित्व है प्रार्थी भी राजस्व रेकर्ड अनुसार आवंटन के पश्चात गैर खातेदार कभी दर्ज नहीं रहा न आवंटन का इन्द्राज हुआ है न गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज हुआ तथा राजस्व वाद के जरिये सीधे ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए है एवं राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवा लिए है जो निरस्त योग्य है एवं अप्रार्थी के [illegible] किया गया आवंटन यथावत रखा जाना न्यायोचित है। आवंटन आदेश का इन्द्राज [illegible] में नहीं होने से आदेश प्रभाव में नहीं रहने से भी आवंटन [illegible] योग्य है। आवंटन आदेश का रेकर्ड में नहीं मिलने से आदेश के अस्तित्व में नहीं होना नहीं माना जा सकता है तथा रेकर्ड नहीं मिलने के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हे। जबकि नामान्तरकरण संख्या 87 पटवार हल्का द्वारा भरा गया भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई एवं तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है जो प्रश्नगत कर अथवा आक्षेपित कर देने मात्र से अविधिक नहीं हो सकता है उक्त नामान्तरकरण संख्या 87 रेकर्ड में आज भी

क्रमशः......................2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

उपलब्ध है। प्रार्थी के आवंटन प्रार्थना पत्र में उक्त भूमी आवंटन हेतु मांग ही नहीं की थी जैसा कि फोटोप्रति नकल प्रार्थना पत्र में उल्लेखित है। उसको तो खसरा नंबर 294 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमी का व भूमी हेतु आवेदन किया था एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 294 में 7 बीघा एवं खसरा नंबर 317 में 8 बीघा आवंटन किया जाने की रिपोर्ट की हुई है। तथा आवंटन समिति द्वारा नियमों के विरूद्ध जाकर खसरा नंबर 211 में कृषि भूमी का आवंटन कर दिया जबकि खसरा नंबर 211 में आवंटन हेतु भूमी उपलब्ध ही नहीं थी क्योंकि अप्रार्थी को उक्त भूमी आवंटित संवत 2020 मं ही हो चूकी थी अधिवक्ता प्रार्थी के कथन मात्र कयास एवं Clever Drafting के अलावा तथ्यों पर आधारित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने तर्को की ताईद में न्यायिक दृष्टांत AIR 194 SC 1128, 2012 (1) RRT 419, 2001 RRD 206, 2005 RRD 228, 2003 RRD 237, 2011(1) RRT 383 प्रस्तुत किए।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. प्रार्थना पत्र व आवंटन कार्यवाही उपलब्ध नहीं होने पर आवंटन को निरस्त किया जाना विधिसम्मत है, जबकि आदेश ही नहीं है तो निरस्त किसे किया जावे।
2. क्या नामान्तरकरण संख्या 87 को सही मानकर उसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात आवंटन को रद्ध किया जाना विधिसम्मत है या नहीं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार इस न्यायालय को प्रेषित रेकर्ड सम्बन्धी जवाब एवं प्रभारी रेकर्ड शाखा द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी को प्रेषित जवाब से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता मगना के नाम भूमी आंवटन हुई या नही इस बाबत किसी प्रकार का रेकर्ड उपलब्ध नहीं है जब अप्रार्थी के पिता को भूमी आवंटन सम्बन्धी रेकर्ड आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश आदि उपलब्ध ही नहीं है तो ऐसे अस्तित्वहीन आवंटन आदेश को खारिज किया जाना कैसे संभव है जिस आदेश को प्रश्नगत किया गया है वह आदेश ही नही है जब आवंटन ही नहीं हुआ अधिवक्ता प्रार्थी भी आवंटन होना नहीं मान रहे है एवं सभी अपीलों में भी यही उल्लेख किया है तो खारिज करने का औचित्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपास्त योग्य है।

प्रार्थी के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 87 के विरूद्ध एवं अपने पक्ष में प्रार्थना पत्र में पारित आवंटन आदेश के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी पाली के न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 13/92 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.94 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए है तो इस तथाकथित आवंटन को निरस्त करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण कार्यवाही नामान्तरकरण संख्या 87 पर ही केन्द्रित है। एवं नामान्तरकरण को नियम 14(4) की कार्यवाही कर प्रश्नतगत नहीं किया जा सकता हे। इस बाबत विभिन्न न्यायालय में वादों का निर्णय प्रार्थी के पक्ष में पारित किए हुए है तथा उनकी अपीले भी विचाराधीन है एवं सभी नामान्तरकरण संख्या 87 पर ही केन्द्रित होने से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित आदेश के अस्तित्व में नहीं होना स्पष्ट है इसलिए भी अस्तित्वहीन आदेश को निरस्त किया जाना भी न्यायोचित नही हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8-10-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:42 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली